न्यायालय उपजिलाधिकारी छिबरामऊ

वाद सं0– 25 /2010

धारा 143उ0प्र0ज0वि0अ0
ग्राम– असालतनगर
परगना –छिबरामऊ
तहसील–छिबरामऊ

बृजकिशोर सिहं बनाम सरकार

निर्णय

श्री बृजकिशोर सिहं पुत्र श्री बाबू सिहं निवासी रामपुर बैजू परगना व तहसील छिबरामऊ जनपद कन्नौज द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि खाता संख्या–49 के गाटा संख्या–93/0.769हे0 व गाटा संख्या–94/0.012हे0 कुल दो किता कुल रकवा 0.781हे0 स्थित ग्राम असालतनगर परगना व छिबरामऊ के संकमणीय भूमिधर है। उक्त भूमि पर आवेदक का कब्जा दखल है तथा उक्त आराजी पर बाबू सिहं महाविद्यालय रामपुर बैजू की बिल्डिंग बनी है उक्त भूमि कृषि प्रयोजन में नहीं लाई जा रही है। अतः उक्त भूमि को अकृषक घोषित किया जाय।

उपरोक्त के आधार पर प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार छिबरामऊ से चाही गई है। तहसीलदार छिबरामऊ द्वारा अपनी आख्या दिनांक 02.10.2010 मय नजरी नक्शा संस्तुति सहित प्रेषित की गई है। आख्यानुसार खाता संख्या–49 के गाटा संख्या–93/0.769हे0 व गाटा संख्या–94/0.012हे0 कुल दो किता कुल रकवा 0.781हे0 स्थित ग्राम असालतनगर परगना व छिबरामऊ के संकमणीय भूमिधर श्री बृजकिशोर सिहं पुत्र श्री बाबू सिहं निवासी रामपुर बैजू परगना व तहसील छिबरामऊ हैं। उक्त भूमि पर आवेदक का कब्जा दखल है, तथा संकमणीय भूमिधर हैं। उक्त आराजी पर बाबू सिहं महाविद्यालय की बिल्डिंग बनी हुई है तथा मौके पर कृषि प्रयोजन में नहीं लाई जा रही है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं होता है। अतः खाता सख्या–49 के गाटा संख्या–93/0.769हे0 व गाटा संख्या–94/0.012हे0 कुल दो किता कुल रकवा 0.781हे0 स्थित ग्राम असालतनगर को धारा 143 ज0वि.अ0 के अन्तर्गत अकृषक घोषित किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा संस्तुति की गई। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि को अकृषक घोषित किया जाना उचित पाया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर श्री बृजकिशोर सिहं पुत्र श्री बाबू सिहं निवासी रामपुर बैजू परगना व तहसील छिबरामऊ जनपद कन्नौज की संकमणीय खाता संख्या–49 के गाटा संख्या–93/0.769हे0 व गाटा संख्या–94/0.012हे0 कुल दो किता कुल रकवा 0.781हे0 स्थित ग्राम असालतनगर परगना व तहसील छिबरामऊ को अकृषक घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा आदेश का अंग होगा। आदेश की प्रति तहसीलदार छिबरामऊ को नियमानुसार अभिलेखों मे अमलदरामद हेतु व एक प्रति उप निबन्धक छिबरामऊ को नियमानुसार निबन्धन हेतु भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनाक –13.11.2010

उपजिलाधिकारी
छिबरामऊ

प्रबन्धक
बाबू सिहं महाविद्यालय

न्यायालय उप जिलाधिकारी छिबरामऊ

वाद संख्या- 38 /09

धारा–143 उ0प्र0ज0वि0अधि0
ग्राम असालतनगर
परगना–छिबरामऊ

बाबू सिहं महाविद्यालय रामपुरबैजू प्रबन्धक बृजकिशोर सिहं बनाम सरकार

निर्णय

श्री बृजकिशोर सिहं पुत्र श्री बाबू सिहं, प्रबन्धक बाबू सिहं महाविद्यालय निवासी रामपुरबैजू परगना व तहसील छिबरामऊ जनपद कन्नौज के द्वारा सशपथ प्रार्थना–पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि गाटा संख्या–95मि0/0.717हे0 का संक्रमणीय भूमिधर हैं जिस पर विद्यालय भवन बना हुआ है,जांच कराकर भूमि को अकृषक घोषित किया जाय।

उपरोक्त के आधार पर प्रार्थना–पत्र की जांच तहसीलदार छिबरामऊ से चाही गई। तहसीलदार छिबरामऊ द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 18.6.2009 नजरी नक्शा सहित प्रेषित की गई है। पत्रावली का अवलोकन किया गया है। तहसीलदार की आख्यानुसार बाबू सिहं महाविद्यालय रामपुर बैजू द्वारा प्रबन्धक,श्री बृजकिशोर सिहं पुत्र श्री बाबू सिहं निवासी रामपुर बैजू की ग्राम असालतनगर की गाटा संख्या–95मि0/0.717हे0 स्थित मौजा असालतनगर के संक्रमणीय भूमिधर है। काबिज दखील है। भूमि पर कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है, न कोई सहखातेदार है। भूमि अविवादित है। चकबन्दी कियाओं के अन्तर्गत नहीं आती है। कब्जा दखल आवेदक का है। भूमि पर महाविद्यालय व बाउण्ड्रीवॉल बनी है। भूमि को अकृषक धोषित किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा आख्या प्रेषित की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि को अकृषक धोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर बाबू सिहं महाविद्यालय रामपुर बैजू द्वारा प्रबन्धक, श्री बृजकिशोर सिहं पुत्र श्री बाबू सिहं निवासी रामपुरबैजू की संकमणीय भूमि संख्या–95मि0/0.717हे0 स्थित मौजा असालतनगर परगना छिबरामऊ को अकृषक घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा आदेश का अंग होगा। आदेश की प्रति तहसीलदार छिबरामऊ को नियमानुसार अभिलेखों में अमलदरामद हेतु व एक प्रति उप निबन्धक छिबरामऊ को नियमानुसार निबन्धन हेतु भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।

दि0 23/6/2009

(एस0के0दीक्षित)
उप जिलाधिकारी
छिबरामऊ

132
श्री ब्रज किशोर सिंह
23/7/09
23/7/09
28/7/09
13/-

प्रबन्धक
बाबू सिंह म
असालतनगर, छि